कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) झुंझुनूं

क्रमांकः– रसद / 2020 / 181 – 191 दिनांकः– 03/6/20

आदेश

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खादय एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ13(1) खा.वि. / आवंटन / खादय सुरक्षा / 2020 दिनांक 02.06.2020 द्वारा "आत्मनिर्भर भारत" (NON NFSA) हेतु आवंटित गेहूँ / चना के आवंटन / उठाव / वितरण कार्य व जनाधार / आधार सीडिंग से वंचित प्रवासियों की सीडिंग हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(अ.)– सामान्य निर्देश :–

1. आत्म निर्भर योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किग्रा गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से एक साथ 10 किग्रा (मई व जून, 2020) गेहूँ निःशुल्क दिया जावेगा व प्रत्येक लाभार्थी को एक किग्रा चना प्रति कार्ड प्रति माह के हिसाब से एक साथ 2 किग्रा (मई व जून, 2020) चना भी निःशुल्क दिया जावेगा। गेहूँ व चना का वितरण केवल उसी प्रवासी को होगा जो Non-NFSA हैं।

(ब.)– जिला रसद अधिकारी / प्रबंधक, खादय नागरिक आपूर्ति निगम, झुंझुनूं हेतु निर्देश :–

1. उपखण्ड अधिकारियों से संभावित लाभार्थियों की सूचना प्राप्त कर थोक विक्रेतावार उपआवंटन आदेश जारी करवाना।
2. उपआवंटन आदेश अनुसार दि.07.06.20 तक उठाव कर ग्राम पंचायत / शहरी क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत / निकाय वार्डवार स्थित उचित मूल्य दुकान तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें।
3. ग्राम पंचायत मुख्यालय व वार्ड (सुलभ स्थान पर स्थित) में स्थित उचित मूल्य दुकानों का चयन कर दुकानदारवार उपआवंटन आदेश जारी करना।

(स.)– उपखण्ड अधिकारियों हेतु निर्देश :–

1. **शहरी क्षेत्र में** –उचित मूल्य दुकानदार (आवंटन आदेश में चयनित) के सहयोग हेतु बीएलओ (जिसके मोबाईल में सर्वे संबंधी ऐप डाउनलोड हो व उसके द्वारा पूर्व में योजना से संबंधित सर्वे कार्य किया हो को प्राथमिकता देवे), एक अन्य कर्मचारी व एक ई–मित्रा के मार्फत वितरण करवाया जावेगा।
2. **ग्रामीण क्षेत्र में** –उचित मूल्य दुकानदार (आवंटन आदेश में चयनित) के सहयोग हेतु आपदा एवं राहत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी सदस्य / ग्राम पंचायत व एक ई–मित्रा (पंचायत स्तर पर स्थापित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के ई–मित्रा को प्राथमिकता देवे) के मार्फत वितरण करवाया जावेगा।
3. उपखण्ड क्षेत्र में कोई भी पात्र प्रवासी परिवार जो निर्धारित वितरण दिनांक / तिथी को वितरण स्थल पर उपस्थित होता हैं, खादयान्न से वंचित नहीं रहना चाहिये, आवंटित समस्त सामग्री का शत–प्रतिशत वितरण करवाना सुनिश्चित करेगें।

(द.)– उपनिदेशक (एसीपी) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झुंझुनूं हेतु निर्देश :–

1. जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आवंटन आदेश में अंकित उचित मूल्य दुकान के निकटतम सक्षम ई–मित्रा कियोस्कधारी को वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहने हेतु

1

पाबंद करें, उक्त ई–मित्रा कियोस्कधारी उचित मूल्य दुकान पर सहयोग हेतु उपस्थित राजकीय कार्मिको के निर्देशानुसार कार्य करेगे।

2. जिन ई–मित्रा को उचित मूल्य दुकानदारों के साथ अटैच किया जाता हैं उनकी मय मोबाईल नंबर उचित मूल्य दुकानदारवार सूची जिला रसद अधिकारी व संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध करवाई जावेगी।

3. उक्त कार्य में सहयोग हेतु नियुक्त किये जाने वाले राजकीय कार्मिको को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण आधार/जनाधार सीडिंग व मोबाईल नंबर अपडेट के संबंध में दिया जावेगा।

(ई.)– <u>राशन वितरण में सहयोग हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक/पंचायत कोर कमेटी हेतु निर्देश</u> :–

1. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वार्ड/ग्राम पंचायत के वितरण कार्य हेतु नियुक्त कार्मिक/कोर कमेटी द्वारा पूर्व में ही एक तिथि/दिवस निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना दूरभाष पर एक दिवस पूर्व सभी पात्र लाभार्थियों को दी जावेगी ताकि पूर्व निर्धारित दिवस पर शत–प्रतिशत वितरण कार्य पूर्ण करवाया जा सके।

2. वितरण के दौरान लाभार्थी मुख्यतः निम्नानुसार चिन्हित हो सकते हैं :–

   I. प्रवासी जिनके फार्म–4 में नाम हैं तथा आधार/जनाधार सीडिंग किया जा चुका हो उनको जरिये पोस मशीन ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किया जावेगा।

   II. प्रवासी जिनके फार्म–4 में नाम हैं तथा आधार/जनाधार सीडिंग नही किया हैं उनका निर्धारित दिनांक से पूर्व शत–प्रतिशत आधार/जनाधार सीडिंग की जावेगी।

   III. प्रवासी व अन्य विशेष श्रेणी जिनका ऑफलाईन सर्वे किया गया हैं उनकी निर्धारित दिनांक से पूर्व शत–प्रतिशत आधार/जनाधार सीडिंग की जावेगी।

   IV. ऐसे प्रवासी/अन्य विशेष श्रेणी के उपभोक्ता जिनका फार्म–4/ई–मित्रा पंजीयन/ मोबाईल सर्वे/ऑफलाईन सर्वे में पंजीयन नहीं हुआ हैं किंतु वह प्रवासी/अन्य विशेष श्रेणी की पात्रता रखता हैं तो मौके पर उपस्थित कर्मचारी/कोर कमेटी एवं ई–मित्रा द्वारा मोबाईल एप या ई–मित्रा लॉगिन से पंजीयन कर रजिस्टर्ड मोबाईल नं. ओटीपी के माध्यम से जरिये पोस राशन वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। आवश्यकता होने पर उपभोक्ता द्वारा मौके पर ही जनाधार कार्ड में मोबाईल नंबर अपडेट करवाया जा सकेगा।

   यहां यह उल्लेखनीय हैं कि राज्य से बाहर के प्रवासी जिनका आधार/जनाधार सीडिंग नहीं हुआ, ऐसे उपभोक्ताओं के परिवार का फार्म–4 में सत्यापन उपरांत आधार नंबर सीडिंग करके, आधार में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर जरिये पोस राशन वितरण करवाया जायेगा।

3. ई–मित्रा/बीएलओ (शहरी क्षेत्र) व ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी/ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के दौरान ऐसे प्रवासी जिनका पूर्व में आधार सीडिंग नहीं हुआ हैं कि मौके पर ही सीडिंग, ई–मित्रा या स्वयं के मोबाईल एप के जरिये करवायेगी ताकि कोई भी पात्र लाभान्वित वंचित न रहे व शतप्रतिशत वितरण हो सके।

4. राशन वितरण उपरांत चयनित उचित मूल्य दुकान/स्थान पर संबंधित कमेटियों द्वारा रिकॉर्ड संधारण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपखण्ड अधिकारियों के मार्फत उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसको खाद्य विभाग को निर्देशानुसार भिजवाया जावेगा।

5. सभी चयनित उचित मूल्य दुकान/स्थान पर वितरण करते समय कोरोना वायरस से वचाव हेतु स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का ध्यान रखा जावें।

(एफ)– **उपभोक्ता व उचित मूल्य दुकानदार हेतु निर्देश :–**

सर्वे में चयनित प्रवासी लाभार्थी अपना आधार/जनाधार कार्ड लेकर जायेगें। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ बांटते समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार जनाधार कार्ड नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर राशन वितरण किया जायेगा। यदि किसी प्रवासी का आधार/जनाधार में दर्ज मोबाईल नं. परिवर्तित हो गया हैं तो मौके पर ई–मित्रा पर अपना नया मोबाईल नंबर अपडेट करवाकर ओटीपी से ही राशन प्राप्त करेगा।

जिला कलक्टर (रसद)
झुंझुनूं

क्रमांक : रसद/आ.नि/ Covid-19**/2020–2021/** 181–191 **दिनांक : 02.06.20**
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् शासन सचिव, खादय एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खादय एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को उनके आदेशांक एफ13(1) खा.वि./आवंटन/खादय सुरक्षा/2020 दि. 02.06.20 के संबंध में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझुनूं।
4. जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
7. आयुक्त, नगर–परिषद्, झुंझुनूं।
8. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका।
9. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक।
10. प्रबंधक, राज.राज्य खादय एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झुंझुनूं।
11. उपनिदेशक –सूचना प्रोद्योगीकि एवं संचार विभाग, झुंझुनूं
12. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, झुंझुनूं को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला कलक्टर (रसद)
झुंझुनूं 03/06/2020